

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री महावीर सिंह जोधा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर 222/2019  
आर.सी.एम.एस. पोर्टल दर्ज नम्बर 2019/00218

**प्रार्थीगण**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर  
बनाम

**अप्रार्थीगण**

1. लेरकंवर पत्नि जालमसिंह
2. जबरसिंह पिता धनसिंह निवासी रामसर, लोडता अचलावता तहसील बालेसर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित :-**

1. प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित
2. प्रार्थीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

**-:: निर्णय ::-**

दिनांक:- 25.11.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया था। तहसीलदार बालेसर द्वारा तहसील बालेसर के ग्राम रामसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता के खसरा नम्बर 456, 456/2 में विभाजन/बैचान/आवंटन/नियमन/दान/समर्पण/संपरिवर्तन/अवाप्ति आदि विभिन्न प्रकार से हुए परिवर्तनो का राजस्व रेकॉर्ड नक्शे में वन टू वन मैपिंग एवं तरमीम का कार्य प्रगति पर होने के कारण राजस्व रेकॉर्ड, नक्शे एवं मौके अनुसार मिलान नहीं होने की दशा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रारूप एवं मौका फर्द प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आदेश जारी करने का निवेदन किया गया है।

तहसीलदार बालेसर का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। राजकीय पैरोकार की बहस सूनी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम रामसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता के खसरा नम्बर 456, 456/2 में प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू-राजस्व अधिनियम के संलग्न प्रस्ताव (प्रारूप) एवं मौका फर्द के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड/राजस्व नक्शे को शुद्ध करने हेतु तहसीलदार बालेसर को निर्देश दिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत प्रस्ताव (प्रारूप) एवं मौका फर्द आदेश का भाग माना जावेगा। उक्त आदेश सेग्रीग्रेसन कार्य हेतु मान्य होगा। अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करते हुए अपने हक हकूत साबित करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।


फ़ैसला आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(महावीर सिंह जोधा)  
पीठासीन अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

प्रारूप

शान्तदार के नाम	शान्तदार के नाम प्रविष्टि का		जमावदी की वर्तमान प्रविष्टि				दूसरी हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि				विशेष विवरण	
	नामा स	नामा के प्रकार	ख.नं.	रकबा बीघा में	किस्म	लगान	ख.नं.	रकबा बीघा में	किस्म	लगान		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अबराहीम सि. नामिद जाहि पुत्र सा.जे. मतेवर			456	5.12	BF	0.84						
			<del>456</del>	<del>5.12</del>	<del>BF</del>	<del>0.84</del>	456	0.15	BF			
							6					
रविचंद्र पति लालमोहि जाहि पुत्र सा.जे. मतेवर			456	5.00	BF	0.81						
			2				456	0.08	BF			
							5					
						452	5.00	BF				
						2						
						2	5.00	BF			6.84	

  
 जिला मजलावत  
 जिला-जोधपुर

9-8-19  
 तहसील बालसर, जिला-जोधपुर

मतेवर  
 मतेवर (मु.प्र.) बालसर

सहायक सचिव, राजस्थान राजस्व विभाग, जयपुर **राजपुर** के खसरा

456

कुल एकड़ 5.12

बीघा में विभाजन / बँचान

आवक / दान / सामग्री / संपरिवर्तन / अवाप्ति आदि विभिन्न

प्रकार के हुए परिवर्तनों को राजस्व नक्शे के तहत वन मेपिंग एवं तरमीम कर

उसकी सही स्थिति का अंकन करने हेतु मौके पर स्वयं पक्षकारान एवं

उसके साथीयों के साथ पहुंचे। मौके एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार निम्नलिखित

स्थिति पायी गयी -


राजस्व नक्शे की पुश्त/दस्तावेज

का अंकन खसरे की स्थिति

मौके पर वर्तमान में खसरे पर

काबिज खातेदारान की खसरा स्थिति

अवलंबनी



पक्षकारान द्वारा मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किये जाने की  
तकरीफ दी गई, परन्तु राजस्व रेकर्ड एवं मौके अनुसार नक्शे एवं खसरो का  
अंकन नहीं हो रहा है।

9-6-19

निरीक्षक (मू.अ.) लोडता अथलवाली  
तहसील बालेसर जिला जाधपुर

पटवारी (मू.अ.) [Signature]  
तहसील बालेसर जिला जाधपुर

11/6/19  
[Signature]  
तहसील बालेसर (मू.अ.) जाधपुर